संख्या-23/2024/655/30-3-24-64एम/2012

प्रेषिक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2024

विषय : रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18स0सु0/2024-57टीआर/2009(Vol-9), दिनांक 04-01-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 07-12-2023 द्वारा अवमुक्त की गयी पंचम/अंतिम किश्त के रूप में एच0डी0एफ0सी0 बैंक में परिवहन विभाग द्वारा खोले गये सी0एन0ए0 खाता सं0- 50100487132030 में हस्तांतरित धनराशि रू0 1.90 करोड़ में से रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) को धनराशि रू0 1,89,05,000/- (रू0 एक करोड़ नवासी लाख पांच हजार मात्र) को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 07-12-2023 द्वारा अवमुक्त की गयी पंचम/अंतिम किश्त के रूप में एच0डी0एफ0सी0 बैंक में परिवहन विभाग द्वारा खोले गये सी0एन0ए0 खाता सं0- 50100487132030 में हस्तांतरित धनराशि रू0 1.90 करोड़ में से रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) को धनराशि रू0 1,89,05,000/- (रू0 एक करोड़ नवासी लाख पांच हजार मात्र) को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के संबंध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-1472/30-3-14-64एम/2012, दिनांक 09-06-2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-585-X-2023-24, दिनांक 07-03-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2024/655 (1)/30-3-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), टीसी/V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।